

भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1885
11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचा

1885. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिज्ञाची थंगापंडियन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में, विशेषकर तमिलनाडु में, मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे और मछुआरों की भलाई के विकास के लिए सामाजिक, वित्तीय और तकनीकी सहायता का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास मछुआरों के लिए बीमा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और तमिलनाडु में ऐसी योजना के अंतर्गत कुल लाभार्थियों की संख्या क्या है; और
- (घ) देश में मछुआरों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित तथा उपयोग की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर तमिलनाडु राज्य में समग्र मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और इस प्रकार मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। अंतर्देशीय मत्स्य कृषकों को नई मीठे पानी की फिनफिश हैचरी, फिश रियरिंग पॉण्ड (तालाब), इनपुट सहित ग्रो आउट पॉण्ड, मीठे पानी के बायो-फ्लोक पॉण्ड, री-सर्कुलेटरी एकाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और फिश फीड मिलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तीव्रता से बढ़ने वाले आनुवंशिक रूप से उन्नत जीआईएफ तिलापिया के लिए हैचरी भी स्थापित की गई है। कैज कल्चर और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने जलाशय परियोजना के एकीकृत विकास के लिए 11.08 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। समुद्री क्षेत्र में, तमिलनाडु के 07 जिलों में लगभग 2,000 मछुआरे परिवार सी वीड फार्मिंग में लगे हुए हैं, जो विशेष रूप से मछुआरा महिलाओं के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत साबित हुआ है। कोल्ड चेन सुविधाओं में, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए इंसुलेटेड वाहन, रेफ्रिजरेटर वाहन, आइस बॉक्स वाले टू वीलर और श्री वीलर, आधुनिक फिश रीटेल मार्केट, कियोस्क और लाइव फिश वेंडिंग केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की गई है। मात्रियकी क्षेत्र के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने 7,522.48 करोड़ रुपए के कुल फंड के साथ फिशरीस एंड

एकाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' (एफआईडीएफ) नामक एक समर्पित फंड बनाया है, जिसके अंतर्गत फिशरीस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान की जाती है। एफआईडीएफ के तहत, तमिलनाडु राज्य सरकार को 1573.73 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 64 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, जैसा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया गया है, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि / रुरल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आरआईडीएफ) के अंतर्गत तमिलनाडु को 1664.39 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 96 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

(ग) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय मास्तियकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के माध्यम से वर्तमान में चल रहे प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत (पीएमएमएसवाई) तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें बीमा प्रीमियम की पूरी राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, जिसमें लाभार्थी का कोई योगदान नहीं होता है। उक्त योजना के तहत प्रदान की जाने वाली बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण शारिरिक अक्षमता के लिए 5,00,000/- रुपए, (ii) स्थायी आंशिक शारिरिक अक्षमता के लिए 2,50,000/- रुपए और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने 25,000/- रुपये की राशि शामिल है। विगत तीन (2021-22 से 2023-24 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान, 131.30 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया जिसमें सालाना औसतन 32.82 लाख मछुआरों को बीमा प्रधान किया गया। परिणामस्वरूप, अब तक 1710 प्राप्त दावा प्रस्तावों में 1047 दावों का निपटान किया जा चुका है, जिसमें दावा निपटान राशि 52.13 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में नामांकित मछुआरों, प्राप्त दावा प्रस्तावों और निपटाए गए दावों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने विगत 4 वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान 8926.33 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ कुल 20990.79 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। स्वीकृत केंद्रीय निधियों में से, देश में मास्तियकी और मछुआरों के समग्र विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों को 4670.79 रुपए की राशि जारी की गई है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक पीएमएमएसवाई के तहत 3160.86 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, एफआईडीएफ के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 5801.06 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली 136 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करने के लिए परियोजना लागत 3858.19 करोड़ रुपए तक सीमित है।

मछली पकड़ने के बुनियादी ढांचे के संबंध में 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1885 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण : तमिलनाडु में कार्यान्वित प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के अंतर्गत नामांकित सदस्यों का विवरण, राज्य का अंश और केंद्रीय अंश :

वर्ष	नामांकित सदस्य	प्रति मछुआरा राज्य का अंश (40%) (रु. में)	प्रति मछुआरा केंद्र का अंश (60%) (रु. में)	दावेदारों को प्राप्त लाभ	लाभार्थियों को राहत राशि का भुगतान (रु. में)
2021-22	5,23,237	22.87	57.16	124	5,81,00,000
2022-23	5,43,949	28.98	43.46	128	6,16,25,000
2023-24	5,58,966	38.00	57.00	84	3,91,50,000
2024-25	5,73,183	33.60	50.40	02	10,00,000